

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 28.06.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2022 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त राममिलन शर्मा पुत्र ठाकुर शर्मा निवासी इमीलीडीहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2020 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त शोहरत पुत्र भारत निवासी सोनबरसा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2021 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त उत्तम साहनी पुत्र मुखु निवासी करमैनी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

***“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी**

अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2020 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त बद्धिराम पुत्र पाचू निवासी बीमापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामल में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

***“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी**

अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2935/2017 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त रामनाथ पुत्र जगदेव निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामल में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

***“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी**

अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2021 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामल में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरबी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत पुरानी सब्जी मण्डी से कालर द्वारा अनियंत्रित बाईक फिसल जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 लोगो (1.अभिषेक पुत्र अनुरुद्ध प्रसाद 2. गीता पत्नी रामकेवट ग्राम हरदीचक थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 प्रवेश कुमार मौर्या, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 140 वाहनों से 1,35,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 140 वाहनों से 1,35,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 555/2025 धारा 137, 87, बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता विक्की कुमार पुत्र रामकलेश निवासी पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर को होटल सोनी इण्टरनेशनल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 27.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, का0 मनीष कुमार यादव, का0 भानू प्रताप सिंह, म0का0 प्रियंका कन्नौजिया।

***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में**

वाँछित अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार*

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 252/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सुहैल उर्फ मकालू पुत्र स्व0 मो0 इंद्रीश निवासी गोपीजोत थाना मुहाना जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 28.06.2025 को रोडवेज बस स्टैंड पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.06.2025 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामद 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 261/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सुहैल उर्फ मकालू-

1. मु0अ0सं0 1358/17 धारा 392/411 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मु0अ0सं0 115 /06 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बृजमनमंगज जिला महाराजगंज।
3. मु0अ0सं0 1226/17 धारा 457/380/411 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
4. मु0अ0सं0 1987/17 धारा 3 (1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
5. मु0अ0सं0 72/18 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
6. मु0अ0सं0 1358/17 धारा 392/411 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
7. मु0अ0सं0 09/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
8. मु0अ0सं0 54/22 धारा 380/411/413 भा0द0वि0 व 207 एमवी एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
9. मु0अ0सं0 55/22 धारा 3/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव, म0का0 माया कुमारी।